प्रपत्र सं. 1 का पृष्ठ सं.

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला अलवर थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2022 प्र0सू0रि0 सं. 506/22 दिनांक 30/12/2022

2. (I) * अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धाराये. **13 (1) (बी), सपठीत 13(2)**

(II) * अधिनियम .... धारायें .....

(III) * अधिनियम ..... धारायें .....

(IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 606 समय 5:40 pm

(ब) अपराध घटने का दिन शुक्रवार दिनांकः 04.06.2021, समय 04.50 पी.एम.

(स) थाना/मौके पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 04.06.2021समय 04.50 पी.एम.

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – मौखिक

5. घटनास्थल :–

(अ) पुलिस थाना/ए0सी0बी0 चौकी अलवर प्रथम, अलवर से दिशा व दूरीः– करीब 21 किमी.

(ब) पता – कार्यालय तहसीलदार, रामगढ, जिला अलवर

बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम :– प्रेम चन्द

(ब) पिता/पति का नाम – श्री रामकिशोर मीणा

(स) जन्म तिथी/वर्ष ..... 45 वर्ष..

(द) राष्ट्रीयता .....भारतीय.....

(य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .

जारी होने की जगह .....

(र) व्यवसाय– पुलिस निरीक्षक एसीबी अलवर प्रथम, अलवर।

(ल) पता– पुलिस निरीक्षक एसीबी अलवर प्रथम, अलवर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : –
श्री प्रवीण कुमार सैनी पुत्र श्री त्रिलोकचन्द सैनी जाती माली उम्र 36 साल निवासी सेढ मौहल्ला रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर तत्कालीन वरिष्ठ सहायक (रीडर) तहसीलदार रामगढ जिला अलवर हाल निलम्बित मुख्यालय कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, रैणी, जिला अलवर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.... कोई नहीं.

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) बरामद राशि–78,500/–रूपये

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .....78,500/–रूपये

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

महोदय,

वाक्यात इस प्रकार है कि दिनांक 04.06.2021 को श्री प्रवीण कुमार सैनी वरिष्ठ सहायक(रीडर), तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर के विरूद्ध ट्रैप कार्यवाही के दौरान विश्वस्त सूत्रों से गोपनीय सूचना मिली कि कार्यालय तहसीलदार, रामगढ, जिला अलवर में प्रतिदिन तहसीलदार के रीडर द्वारा किये जाने वाले वैध कार्यो के एवज में सम्बन्धितगणों/पक्षकारान से अवैध रूप से राशि वसूल की जाती है, जो श्री प्रवीण कुमार सैनी, रीडर, तहसीलदार, रामगढ के कक्ष व उनके कब्जे से बरामद हो सकती है। इस सूचना पर ट्रैप कार्यवाही के दौरान उपस्थित स्वतंत्र गवाह श्री जगत सिंह, सहायक प्रथम एवं श्री धर्मेन्द्र सिंह, तकनिकी सहायक, कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) ए–4, जयपुर डिस्कॉम, अलवर की उपस्थिति में कार्यालय तहसीलदार, रामगढ, जिला अलवर में स्थित श्री प्रवीण कुमार सैनी, वरिष्ठ सहायक (रीडर), तहसीलदार, रामगढ के कार्यालय कक्ष की की खाना तलाशी श्री प्रवीण कुमार सैनी, वरिष्ठ सहायक (रीडर) की उपस्थिति में सिल–सिलेवार ली गई। श्री प्रवीण कुमार सैनी, वरिष्ठ सहायक (रीडर) तहसीलदार रामगढ के कार्यालय के कक्ष की खाना तलाशी के दौरान पाया गया कि उक्त कक्ष में एक टेबल, चार कुर्सी एवं एक लोहे की गोदरेज आलमारी रखी हुई पाई गई तथा टेबल पर सरकारी कागजात/पत्रादि/पत्रावलियॉ रखी हुई थी। तत्पश्चात दोनों गवाहान एवं श्री प्रवीण कुमार सैनी, वरिष्ठ सहायक (रीडर) की उपस्थिति में उक्त कक्ष में रखी टेबल एवं लोहे की गोदरेज अलमारी की तलाशी गवाहों से लिवाई गई तो उक्त कार्यालय कक्ष में रखी टेबल की बांयी साईड में बनी रैकस (दराजों) की तलाशी ली गई तो टेबल की बांयी साईड की ऊपर वाली दराज में लूज पेपर, पैन इत्यादि, नीचे वाली दराज में लूज पेपर पाये गये तथा बीच वाली दराज (रैक) में लूज कागजों के नीचे 500–500 रूपये का एक बंडल रखा हुआ पाया, जिसको दोनों गवाहन ने गिनकर बताया कि इस बंडल में 500–500 रूपये के 117 नोट कुल 58,500 रूपये है। उक्त राशि के बारे में मन पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों गवाहान के समक्ष श्री प्रवीण कुमार सैनी, वरिष्ठ सहायक(रीडर), तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर से पूछा गया तो श्री प्रवीण कुमार सैनी कुछ नही बोला एवं चुपचाप रहा। इस पर उसे काफी तस्सली देकर पूछा गया तो उसने उक्त राशि को अपने घर से लेकर आना बताया। तत्पश्चात श्री प्रवीण कुमार सैनी रीडर से यह पूछा गया कि उक्त राशि घर से किस काम के लिये लेकर आया है, तो वह कुछ नही बताया और चुप हो गया। श्री प्रवीण कुमार सैनी से उक्त टेबल–कुर्सी के बारे में पूछा गया तो, उसने उक्त टेबल–कुर्सियों को अपने कार्यालय कक्ष की अपने कब्जे की होना तथा उक्त का उपयोग कार्यालय के राजकार्य हेतु स्वयं द्वारा लिया जाना बताया गया।

तत्पश्चात दोनों गवाहान द्वारा उक्त कार्यालय कक्ष में रखी लोहे की गोदरेज आलमारी को खोलकर तलाशी ली गई उक्त आलमारी की रैकों में पत्रावलियॉ रखी हुई पाई गई, जिनको हटा–हटा कर चैक किया गया तो उक्त आलमारी की उपर वाली रैक (दराज) में रखी फाईलों की बीच में छुपाकर रखे हुये 500–500 रू0 के नोटों की मुडी हुई गिड्डी मिली। जिसको दोनों गवाहन ने गिनकर बताया कि इस गिड्डी में 500–500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000 रूपये है। उक्त राशि के बारे में मन पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों गवाहान के समक्ष श्री प्रवीण कुमार सैनी, वरिष्ठ सहायक(रीडर), तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर से पूछा गया तो श्री प्रवीण कुमार सैनी ने उक्त राशि किसी को देने के लिये अपने घर से लेकर आना बताया, जिस पर श्री प्रवीण कुमार सैनी रीडर से यह पूछा गया कि यदि उक्त राशि आप अपने घर से किस को देने हेतु लेकर आये, तो उसे उक्त आलमारी में फाईलों के बीच में छुपाकर क्यों रखी गई। इस पर श्री प्रवीण कुमार सैनी चुपचाप हो गया और कुछ भी नही बताया। श्री प्रवीण कुमार सैनी, वरिष्ठ सहायक (रीडर), तहसीलदार, रामगढ

के उक्त कार्यालय कक्ष की खाना तलाशी में उक्तानुसार रिकार्ड पत्रादि/पत्रावलियॉ एवं संदिग्ध राशि के अतिरिक्त अन्य कोई किमती वस्तु, संदिग्ध दस्तावेज नही मिले।

श्री प्रवीण कुमार सैनी, वरिष्ठ सहायक(रीडर) तहसीलदार, रामगढ, जिला अलवर के उपयोग में ली जा रही कार्यालय कक्ष की टेबिल की बांयी साईड की बीच वाली दराज(रैक) में बरामद शुदा राशि 58,500 रू0 एवं लोहे की गोदरेज आलामरी की उपर की रैक (दराज) में बरामद शुदा राशि 20,000 रूपये कुल राशि 78,500 रू0 अवैध/संदेहजनक राशि होने के कारण वास्ते जाँच कब्जा एसीबी ली गई।

तत्पश्चात जॉच के दौरान श्री प्रवीण कुमार सैनी, वरिष्ठ सहायक(रीडर) तहसीलदार, रामगढ, जिला अलवर के उपयोग में ली जा रही कार्यालय कक्ष की टेबिल की बांयी साईड की बीच वाली दराज(रैक) एवं लोहे की गोदरेज आलामरी की उपर की रैक (दराज) से दिनांक 04.06.2021 को खाना तलाशी के दौरान बरामद की गई अवैध/संदिग्ध राशि 78,500 रूपये के सम्बन्ध में श्री प्रवीण कुमार सैनी, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक (रीडर), तहसीलदार, रामगढ, जिला अलवर को उक्त राशि के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण पेश करने हेतु कार्यालय पत्र जारी कर लिखा गया कि "आपके राजकीय कक्ष मे रखी आपके कार्य करने की टेबल की रैक में 58,500 रूपये एवं उक्त कमरे मे रखी हुई लोहे की अलमारी की उपरी रेंक मे रखी हुई फाईलो के बीच मे छुपाकर रखे हुये 20,000 रूपये इस प्रकार कुल 78,500 रूपये की संदिग्ध राशि मिली थी, जिसको ब्यूरों द्वारा वास्ते जॉच जब्त किया गया था। अतः दिनांक 04.06.2021 को आपके कार्यालय कक्ष से मिली उक्त संदिग्ध राशि के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे कि उक्त राशि आपके पास कहा से, किससे एवं किसके लिये व किस कार्य हेतु प्राप्त हुई एवं आपके द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में क्यों रखी गई थी?"। उक्त क्रम में श्री प्रवीण कुमार सैनी, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक (रीडर), तहसीलदार, रामगढ, जिला अलवर द्वारा प्रेषित लिखित स्पष्टीकरण में उक्त तथ्यों से सम्बन्धित कोई जबाव अंकित नही गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्तानुसार बरामद शुदा अवैध/संदिग्ध राशि 78,500 रूपये के सम्बन्ध में श्री प्रवीण कुमार सैनी, वरिष्ठ सहायक (रीडर), तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर के पास कोई तार्किक एवं तथ्यात्मक जवाब नही है।

उक्तानुसार ट्रैप कार्यवाही विरूद्ध श्री प्रवीण कुमार सैनी वरिष्ठ सहायक(रीडर), तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर के दौरान श्री प्रवीण कुमार सैनी वरिष्ठ सहायक(रीडर), तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर के कार्यालय कक्ष की ली गई खाना तलाशी में श्री प्रवीण कुमार सैनी वरिष्ठ सहायक(रीडर), तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर के कार्यालय कक्ष में श्री प्रवीण कुमार सैनी रीडर द्वारा उपयोग में ली जा रही कार्यालय की टेबिल की दराज(रैक) एवं लोहे की गोदरेज आलमारी की दराज(रैक) में बरामद शुदा अवैध/संदिग्ध राशि 78,500 रूपये श्री प्रवीण कुमार सैनी तत्कालीन वरिष्ठ सहायक(रीडर), तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर की ही है, जो श्री प्रवीण कुमार सैनी तत्कालीन वरिष्ठ सहायक(रीडर), तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर द्वारा अपने कार्यालय से सम्बन्धित वैध कार्यो को करने की एवज में अपने पद का दुरूपयोग कर उक्त कार्यो से सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तियों से अवैध रूप से वसूल की गई राशि होना प्रथम दृष्टतया प्रमाणित है। उक्त बरामद शुदा अवैध/संदिग्ध राशि का एक दिन के चैक पीरियड अवधि का श्री प्रवीण कुमार सैनी, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक (रीडर), तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर ने कोई संतोषप्रद स्पष्टीकरण तत्समय/जॉच के दौरान नही दिया है।

अतः श्री प्रवीण कुमार सैनी पुत्र श्री त्रिलोकचन्द सैनी जाती माली उम्र 36 साल निवासी सेढ मौहल्ला रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर तत्कालीन वरिष्ठ सहायक (रीडर) तहसीलदार रामगढ जिला अलवर हाल (निलम्बित) मुख्यालय कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, रैणी, जिला अलवर के विरूद्ध अन्तर्गत अपराध धारा 13(1)(बी), सपठीत 13(2) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांकन हेतु प्रेषित है।

(प्रेम चन्द)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
अलवर प्रथम, अलवर।

प्रपत्र सं. 1 का पृष्ठ सं.

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला अलवर थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2022 प्र0सू0रि0 सं. 506/22 दिनांक 30/12/2022

2. (I) * अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारायें. **13 (1) (बी), सपठीत 13(2)**

(II) * अधिनियम .... धारायें .....

(III) * अधिनियम ..... धारायें .....

(IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 606 समय 5:40 pm

(ब) अपराध घटने का दिन शुक्रवार दिनांकः 04.06.2021, समय 04.50 पी.एम.

(स) थाना/मौके पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 04.06.2021समय 04.50 पी.एम.

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – मौखिक

5. घटनास्थल :–

(अ) पुलिस थाना/ए0सी0बी0 चौकी अलवर प्रथम, अलवर से दिशा व दूरीः– करीब 21 किमी.

(ब) पता – कार्यालय तहसीलदार, रामगढ, जिला अलवर

बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम :– प्रेम चन्द

(ब) पिता/पति का नाम – श्री रामकिशोर मीणा

(स) जन्म तिथी/वर्ष ..... 45 वर्ष..

(द) राष्ट्रीयता .....भारतीय.....

(य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .

जारी होने की जगह .....

(र) व्यवसाय– पुलिस निरीक्षक एसीबी अलवर प्रथम, अलवर।

(ल) पता– पुलिस निरीक्षक एसीबी अलवर प्रथम, अलवर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : –
श्री प्रवीण कुमार सैनी पुत्र श्री त्रिलोकचन्द सैनी जाती माली उम्र 36 साल निवासी सेढ मौहल्ला रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर तत्कालीन वरिष्ठ सहायक (रीडर) तहसीलदार रामगढ जिला अलवर हाल निलम्बित मुख्यालय कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, रैणी, जिला अलवर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.... कोई नहीं.

4

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) बरामद राशि–78,500/–रूपये

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .....78,500/–रूपये

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

महोदय,

वाक्यात इस प्रकार है कि दिनांक 04.06.2021 को श्री प्रवीण कुमार सैनी वरिष्ठ सहायक(रीडर), तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर के विरूद्ध ट्रैप कार्यवाही के दौरान विश्वस्त सूत्रों से गोपनीय सूचना मिली कि कार्यालय तहसीलदार, रामगढ, जिला अलवर में प्रतिदिन तहसीलदार के रीडर द्वारा किये जाने वाले वैध कार्यो के एवज में सम्बन्धितगणों/पक्षकारान से अवैध रूप से राशि वसूल की जाती है, जो श्री प्रवीण कुमार सैनी, रीडर, तहसीलदार, रामगढ के कक्ष व उनके कब्जे से बरामद हो सकती है। इस सूचना पर ट्रैप कार्यवाही के दौरान उपस्थित स्वतंत्र गवाह श्री जगत सिंह, सहायक प्रथम एवं श्री धर्मेन्द्र सिंह, तकनिकी सहायक, कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) ए–4, जयपुर डिस्कॉम, अलवर की उपस्थिति में कार्यालय तहसीलदार, रामगढ, जिला अलवर में स्थित श्री प्रवीण कुमार सैनी, वरिष्ठ सहायक (रीडर), तहसीलदार, रामगढ के कार्यालय कक्ष की की खाना तलाशी श्री प्रवीण कुमार सैनी, वरिष्ठ सहायक (रीडर) की उपस्थिति में सिल–सिलेवार ली गई। श्री प्रवीण कुमार सैनी, वरिष्ठ सहायक (रीडर) तहसीलदार रामगढ के कार्यालय के कक्ष की खाना तलाशी के दौरान पाया गया कि उक्त कक्ष में एक टेबल, चार कुर्सी एवं एक लोहे की गोदरेज आलमारी रखी हुई पाई गई तथा टेबल पर सरकारी कागजात/पत्रादि/पत्रावलियॉ रखी हुई थी। तत्पश्चात दोनों गवाहान एवं श्री प्रवीण कुमार सैनी, वरिष्ठ सहायक (रीडर) की उपस्थिति में उक्त कक्ष में रखी टेबल एवं लोहे की गोदरेज अलमारी की तलाशी गवाहों से लिवाई गई तो उक्त कार्यालय कक्ष में रखी टेबल की बांयी साईड में बनी रैकस (दराजों) की तलाशी ली गई तो टेबल की बांयी साईड की ऊपर वाली दराज में लूज पेपर, पैन इत्यादि, नीचे वाली दराज में लूज पेपर पाये गये तथा बीच वाली दराज (रैक) में लूज कागजों के नीचे 500–500 रूपये का एक बंडल रखा हुआ पाया, जिसको दोनों गवाहन ने गिनकर बताया कि इस बंडल में 500–500 रूपये के 117 नोट कुल 58,500 रूपये है। उक्त राशि के बारे में मन पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों गवाहान के समक्ष श्री प्रवीण कुमार सैनी, वरिष्ठ सहायक(रीडर), तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर से पूछा गया तो श्री प्रवीण कुमार सैनी कुछ नही बोला एवं चुपचाप रहा। इस पर उसे काफी तस्सली देकर पूछा गया तो उसने उक्त राशि को अपने घर से लेकर आना बताया। तत्पश्चात श्री प्रवीण कुमार सैनी रीडर से यह पूछा गया कि उक्त राशि घर से किस काम के लिये लेकर आया है, तो वह कुछ नही बताया और चुप हो गया। श्री प्रवीण कुमार सैनी से उक्त टेबल–कुर्सी के बारे में पूछा गया तो, उसने उक्त टेबल–कुर्सियों को अपने कार्यालय कक्ष की अपने कब्जे की होना तथा उक्त का उपयोग कार्यालय के राजकार्य हेतु स्वयं द्वारा लिया जाना बताया गया।

तत्पश्चात दोनों गवाहान द्वारा उक्त कार्यालय कक्ष में रखी लोहे की गोदरेज आलमारी को खोलकर तलाशी ली गई उक्त आलमारी की रैकों में पत्रावलियॉ रखी हुई पाई गई, जिनको हटा–हटा कर चैक किया गया तो उक्त आलमारी की उपर वाली रैक (दराज) में रखी फाईलों की बीच में छुपाकर रखे हुये 500–500 रू0 के नोटों की मुडी हुई गिड्डी मिली। जिसको दोनों गवाहन ने गिनकर बताया कि इस गिड्डी में 500–500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000 रूपये है। उक्त राशि के बारे में मन पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों गवाहान के समक्ष श्री प्रवीण कुमार सैनी, वरिष्ठ सहायक(रीडर), तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर से पूछा गया तो श्री प्रवीण कुमार सैनी ने उक्त राशि किसी को देने के लिये अपने घर से लेकर आना बताया, जिस पर श्री प्रवीण कुमार सैनी रीडर से यह पूछा गया कि यदि उक्त राशि आप अपने घर से किस को देने हेतु लेकर आये, तो उसे उक्त आलमारी में फाईलों के बीच में छुपाकर क्यों रखी गई। इस पर श्री प्रवीण कुमार सैनी चुपचाप हो गया और कुछ भी नही बताया। श्री प्रवीण कुमार सैनी, वरिष्ठ सहायक (रीडर), तहसीलदार, रामगढ

के उक्त कार्यालय कक्ष की खाना तलाशी में उक्तानुसार रिकार्ड पत्रादि/पत्रावलियॉ एवं संदिग्ध राशि के अतिरिक्त अन्य कोई किमती वस्तु, संदिग्ध दस्तावेज नही मिले।

श्री प्रवीण कुमार सैनी, वरिष्ठ सहायक(रीडर) तहसीलदार, रामगढ, जिला अलवर के उपयोग में ली जा रही कार्यालय कक्ष की टेबिल की बांयी साईड की बीच वाली दराज(रैक) में बरामद शुदा राशि 58,500 रू0 एवं लोहे की गोदरेज आलामरी की उपर की रैक (दराज) में बरामद शुदा राशि 20,000 रूपये कुल राशि 78,500 रू0 अवैध/संदेहजनक राशि होने के कारण वास्ते जॉच कब्जा एसीबी ली गई।

तत्पश्चात जॉच के दौरान श्री प्रवीण कुमार सैनी, वरिष्ठ सहायक(रीडर) तहसीलदार, रामगढ, जिला अलवर के उपयोग में ली जा रही कार्यालय कक्ष की टेबिल की बांयी साईड की बीच वाली दराज(रैक) एवं लोहे की गोदरेज आलामरी की उपर की रैक (दराज) से दिनांक 04.06.2021 को खाना तलाशी के दौरान बरामद की गई अवैध/संदिग्ध राशि 78,500 रूपये के सम्बन्ध में श्री प्रवीण कुमार सैनी, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक (रीडर), तहसीलदार, रामगढ, जिला अलवर को उक्त राशि के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण पेश करने हेतु कार्यालय पत्र जारी कर लिखा गया कि "आपके राजकीय कक्ष मे रखी आपके कार्य करने की टेबल की रैक में 58,500 रूपये एवं उक्त कमरे मे रखी हुई लोहे की अलमारी की उपरी रेंक मे रखी हुई फाईलो के बीच मे छुपाकर रखे हुये 20,000 रूपये इस प्रकार कुल 78,500 रूपये की संदिग्ध राशि मिली थी, जिसको ब्यूरों द्वारा वास्ते जॉच जब्त किया गया था। अतः दिनांक 04.06.2021 को आपके कार्यालय कक्ष से मिली उक्त संदिग्ध राशि के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे कि उक्त राशि आपके पास कहा से, किससे एवं किसके लिये व किस कार्य हेतु प्राप्त हुई एवं आपके द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में क्यों रखी गई थी?"। उक्त क्रम में श्री प्रवीण कुमार सैनी, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक (रीडर), तहसीलदार, रामगढ, जिला अलवर द्वारा प्रेषित लिखित स्पष्टीकरण में उक्त तथ्यों से सम्बन्धित कोई जबाव अंकित नही गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्तानुसार बरामद शुदा अवैध/संदिग्ध राशि 78,500 रूपये के सम्बन्ध में श्री प्रवीण कुमार सैनी, वरिष्ठ सहायक (रीडर), तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर के पास कोई तार्किक एवं तथ्यात्मक जवाब नही है।

उक्तानुसार ट्रैप कार्यवाही विरूद्ध श्री प्रवीण कुमार सैनी वरिष्ठ सहायक(रीडर), तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर के दौरान श्री प्रवीण कुमार सैनी वरिष्ठ सहायक(रीडर), तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर के कार्यालय कक्ष की ली गई खाना तलाशी में श्री प्रवीण कुमार सैनी वरिष्ठ सहायक(रीडर), तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर के कार्यालय कक्ष में श्री प्रवीण कुमार सैनी रीडर द्वारा उपयोग में ली जा रही कार्यालय की टेबिल की दराज(रैक) एवं लोहे की गोदरेज आलमारी की दराज(रैक) में बरामद शुदा अवैध/संदिग्ध राशि 78,500 रूपये श्री प्रवीण कुमार सैनी तत्कालीन वरिष्ठ सहायक(रीडर), तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर की ही है, जो श्री प्रवीण कुमार सैनी तत्कालीन वरिष्ठ सहायक(रीडर), तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर द्वारा अपने कार्यालय से सम्बन्धित वैध कार्यो को करने की एवज में अपने पद का दुरूपयोग कर उक्त कार्यो से सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तियों से अवैध रूप से वसूल की गई राशि होना प्रथम दृष्टतया प्रमाणित है। उक्त बरामद शुदा अवैध/संदिग्ध राशि का एक दिन के चैक पीरियड अवधि का श्री प्रवीण कुमार सैनी, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक (रीडर), तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर ने कोई संतोषप्रद स्पष्टीकरण तत्समय/जॉच के दौरान नही दिया है।

अतः श्री प्रवीण कुमार सैनी पुत्र श्री त्रिलोकचन्द सैनी जाती माली उम्र 36 साल निवासी सेढ मौहल्ला रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर तत्कालीन वरिष्ठ सहायक (रीडर) तहसीलदार रामगढ जिला अलवर हाल (निलम्बित) मुख्यालय कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, रैणी, जिला अलवर के विरूद्ध अन्तर्गत अपराध धारा 13(1)(बी), सपठीत 13(2) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(प्रेम चन्द)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
अलवर प्रथम, अलवर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर-प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(बी), सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री प्रवीण कुमार सैनी, वरिष्ठ सहायक (रीडर), कार्यालय तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर हाल निलम्बित कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, रैणी, जिला अलवर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 506/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

30.12.22

(योगेश दाँधीच)
पुलिस अधीक्षक प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 4247-50 दिनांक 30.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. कलक्टर, जिला अलवर।
3. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-प्रथम, अलवर।

30.12.22

पुलिस अधीक्षक प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।